(v) परामर्शन, परामर्शी (client or counselee) के लिए एक अधिगम (learning) की परिस्थिति उत्पन्न करता है जिसके द्वारा व्यक्ति के संज्ञान (cognition), अनुभूति, अभिप्रेरणा एवं अंतर्वैयक्तिक संबंधों में वांछित परिवर्तन उत्पन्न करने में मदद की जाती है।

(vi) परामर्शन जिसका स्वरूप विकासात्मक (developmental), निरोधात्मक (Perventive) उपचारात्मक (therapeutic) होता है। परामर्शी की हित की दिशा में हमेशा उन्मुख होता है।

(vii) परामर्शन सामान्यतः एक एवं एक (one to one) के सामाजिक परिवेश में सामान्यतः होता है हलांकि आजकल ऐसे सामाजिक परिवेश में एक साथ एक से अधिक परामर्शी का भी उपयोग किया जाने लगा है।

(viii) परामर्शदाता - परामर्शी संबंध (counsellor - counselee relationship) आनुभविक (understanding) अनुक्रियाशीलता (responsiveness) तथा हार्दिकता (warmth) पर आधारित होता है।

स्पष्ट हुआ कि परामर्शन एक व्यापक प्रक्रिया है जो परामर्शी में वांछित, अनुक्रमिक परिवर्तन करके उसके जीवन को खुशहाल बनाता है।

परामर्शन के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए यह आवश्यक है कि इससे जुड़ी हुई कुछ भ्रांतियां हैं उनके बारे में भी जाना जाए। इन भ्रांतियों में कुछ प्रमुख हैं —

(i) परामर्शन में परामर्शी के मूल्यों, निर्णय, मनोवृत्ति, विश्वास, अभिरुचि आदि को धमकी देकर या बिना धमकी के भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं की जाती है।

(ii) परामर्शन में कोई सुझाव या

या सिफारिश नहीं की जाती है।

(iii) परामर्शन में परामर्श का साक्षात्कार नहीं होता है।

व्यक्ति अपनी निजी समस्याओं के समाधान के लिए परामर्शन चाहता है। व्यक्तिगत समस्या शारीरिक, मानसिक, व्यवसाय संबंधी तथा समाज संबंधी हो सकती है जिसके लिए उसे परामर्शक की आवश्यकता होती है। परामर्श मूलतः पारस्परिक होता है। इसका आधार परम्परा विश्वास है। व्यक्ति परामर्श उसी से लेता है जिसमें उसका विश्वास होता है और यदि परामर्शक सच्चा, ईमानदार और सनिष्ठ है तो वह उसी को व्यक्ति को परामर्श देता है जिसे वह समझता है कि वह परामर्श को स्वीकार करेगा और यथा सम्भव इसका पालन करेगा। व्यवसायिक निर्देशन (प्रोफेशनल गाइडेन्स) के क्षेत्र में प्रमुख योगदान करने वाले विख्यात लेखक ई० डब्लू० मायर्स ने लिखा है कि परामर्श देना एक महान कला है इस

प्रकार परामर्शन को बहुत ही सावधानी तथा सतर्कता से परामर्शन देना चाहिए। परामर्शन को अनुभवी, सुधी, सजग और परिपक्व होना चाहिए जिससे लाभ प्रत्याशी को मिल सके।

समाज-गठन के आरंभिक दिनों में परामर्शन न तो व्यवस्थित था और न वैज्ञानिक। इसकी कोई प्रक्रिया नहीं थी। इसका कोई स्वरूप भी नहीं था। परामर्शक परामर्श देने के पूर्व किसी प्रकार की तैयारी भी नहीं करता था न किसी निश्चित लक्ष्य को ध्यान में रखकर परामर्शेच्छु परामर्श की आकांक्षा करता था। समय के अनुसार परामर्श का स्वरूप भी बदलता गया। जिस प्रकार से विभिन्न शास्त्रों एवं विज्ञानों में नवीन अवधारणा प्रक्रिया तथा व्यवस्था का समावेश हुआ उसी प्रकार परामर्शन भी उससे अछूता नहीं है।

—— × ——